42/वि०पें०
12/03/2024

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन के संबंध में ।

राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 11.08.2023 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्गत है ।

2. उक्त संकल्प की कंडिका 5 (ग) के अनुसार :- "PRAN में जमा राशि की वापसी (भविष्य निधि निदेशालय) के आदेश सं० 47 दिनांक 04.02.2015 के प्रावधानों के आलोक में की जायगी बशर्त्ते धारक द्वारा जमा राशि लाभांश सहित उसके भविष्य निधि खाते में तथा सरकार द्वारा किये गये अंशदान की राशि लाभांश सहित राज्य सरकार के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।"

3. PRAN में जमा राशि की वापसी हेतु भविष्य निधि निदेशालय के आदेश सं० 47 दिनांक 04.02.2015 के प्रावधान निम्नवत् है :-

Non-PRAN अंशधारक की पूरी राशि NSDL/Fund Manager द्वारा Credit कर देने के पश्चात् आधी-आधी राशि क्रमशः संबंधित धारक के भविष्य निधि खाता तथा राज्य सरकार के खाता में कोषागार चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा ।

4. भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 748 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य के NPS कर्मियों के लिये सरकारी अंशदान की राशि मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत निर्धारित किये जाने की स्थिति में उक्त कंडिका 3 में

उल्लिखित आधी-आधी राशि के स्थान पर Non-PRAN अंशधारक की राशि को समानुपातिक रूप में संबंधित धारक के भविष्य निधि खाता तथा राज्य सरकार के खाता में कोषागार चालान के माध्यम से जमा किया जाना है ।

5. वैसे राज्य सरकार के कर्मी, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.12.2004 के पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन/नियुक्ति आदेश के आलोक में हुई हो, को पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य करते हुए NPS खाते में जमा राशि की वापसी की प्रक्रिया भविष्य निधि निदेशालय के स्तर से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जानी है तथा धारक द्वारा जमा राशि लाभांश सहित उसके भविष्य निधि खाते में तथा सरकार द्वारा किये गये अंशदान की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करने हेतु संबंधित कर्मी के लिए कोई शर्त्त निर्धारित नहीं है ।

6. W.P. (S) No. 3017/2021 डॉ० हरि किशोर सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के साथ W.P. (S) No. 6892/2019 सच्चिदानंद साहू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के साथ W.P. (S) No. 4427/20222 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 18.10.2023 में उल्लिखित है कि This Court is of the view that the word "बशर्ते" should be deleted and is hereby ordered to be deleted and Clause-5 (ग) of the Resolution dated 25.08.2023 be read as if the said word was not there.

7. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 की कंडिका 5(ग) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

"PRAN में जमा राशि की वापसी भविष्य निधि निदेशालय के आदेश सं० 47 दिनांक 04.02.2015 के प्रावधानों के आलोक में की जायगी । धारक द्वारा जमा राशि लाभांश सहित उसके भविष्य निधि खाते में तथा सरकार द्वारा किये गये अंशदान की राशि लाभांश सहित राज्य सरकार के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।"

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 29.02.2024 की बैठक में मद संख्या 04 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

07/03/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :- 5/पेंशन/न्यायालयवाद/02/23/वित्त 42/वि०पें० राँची, दिनांक 12/03/2024

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/ पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने के निमित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/03/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-5/पेंशन/न्यायालयवाद/02/23/वित्त 42/वि०पें० राँची, दिनांक 12/03/2024

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/03/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-5/पेंशन/न्यायालयवाद/02/23/वित्त 42/वि०पें० राँची, दिनांक 12/03/2024

प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

07/03/24

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव ।